मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

-::आदेश::-

भोपाल, दिनांक 7/11/2019

क्रमांक एफ 10-63/2001/सत्रह/मेडि-02 :: इस विभाग के आदेश (अधिसूचना) समसंख्यक दिनांक 20.10.2016 द्वारा गठित सलाहकार समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप पूर्व से गठित समिति को अधिक्रमित करते हुए गर्भधारण पूर्व और प्रसूतिपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशोध) अधिनियम, 1994 की धारा 17(5) एवं (6) के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है :-

क्रमांक 1	विशेषज्ञ 2	सदस्य 3
1.	स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ	डॉ. पूनम माथुर, प्राध्यापक, स्त्रीरोग विभाग, एम.जी.एम. कॉलेज, इन्दौर।
2.	शिशु रोग विशेषज्ञ	डॉ. भरत छपरवाल, पूर्व वाईस चांसलर, ए.वी.बी. इंदौर, सेवा निवृत, प्राध्यापक शिशु रोग विभाग, एम.जी.एम. कॉलेज, इंदौर।
3.	मेडिकल जेनेटिक्स	डॉ. व्ही.के. पण्डित, सेवा निवृत, प्राध्यापक एनाटामी एम.जी.एम. कॉलेज, इंदौर।
4.	विधि विशेषज्ञ	उप सचिव, विधि विभाग, भोपाल।
5.	जनसंपर्क अधिकारी	उप संचालक, जन संपर्क कार्यालय, भोपाल।
6.	तीन सोशल वर्कर	1. श्री मुकेश सिन्हा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम.पी.वी.एच.ए., एम.पी. 2. सुश्री आशा मिश्रा - 9425302012, महिला शिक्षा वैज्ञानिक चेतना एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वी.जी.वी.एस. 3. सुश्री अंजना कुरारिया - 9340682642, शासकीय अधिवक्ता, हाई कोर्ट जबलपुर एवं महिलाओं के वैधानिक अधिकारों हेतु सक्रिय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.आर.सुनहरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 10-63/2001/सत्रह/मेडि-02 भोपाल, दिनांक 7/11/2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश भोपाल। वेबसाईड पर डाउन लोड करने हेतु एवं 03 सोशल वर्कर को आदेश प्रेषित करने के लिये आदेश की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न है।
7. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्य प्रदेश, जनसंपर्क भवन, बाणगंगा, भोपाल।
8. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल।
9. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
10. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर की ओर उक्तादेश की अतिरिक्त 03 प्रतियँ संलग्न है, कृपया संबंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्य प्रदेश, किसान भवन, मण्डी बोर्ड परिसर, अरेरा हिल्स भोपाल।
12. समस्त, जिला कलेक्टर/जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एण्ड.पी..एन.डी.टी., मध्य प्रदेश।
13. संबंधित सदस्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. गार्ड फाईल।

7/11/19

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प.क्र. PNDT

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
11 NOV
3168